भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2227

(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 मार्च, 2017 को दिया गया)

कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय किया जाना

2227. श्री देवेंदर गौड टी. :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत इस योजना के पश्चात् कंपनियों द्वारा कितनी राशि क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार खर्च की गई है;

(ख) क्या वर्ष 2014-15 में शीर्ष की 50 कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों पर 4,600 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं;

(ग) शीर्ष की 50 कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या ऐसी कंपनियां हैं, जिन्होंने अपनी पूरी सीएसआर निधियों का व्यय नहीं किया है;

(ड.) कंपनियों द्वारा केवल उन्हीं राज्यों जहां पर उनके कारोबार संबंधी हित हैं पर ध्यान दिए जाने और दूसरे पिछड़े राज्यों को नजरअंदाज करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या इससे असंतुलित विकास को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जो सरकार नहीं चाहती है; और

(छ) यदि हां, तो मंत्रालय इस समस्या का समाधान कैसे करने की योजना बना रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): वर्ष 2014-15 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के क्रियान्वयन का पहला वर्ष था। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के लिए

क्रमश: 7334 कंपनियों और 5097 कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का समेकन किया गया है। संक्षिप्त परिणाम निम्नानुसार हैं:-

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान सीएसआर व्यय

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2015-16	
		उन कंपनियों की संख्या जिनके आंकड़े संकलित किए गए हैं	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)	उन कंपनियों की संख्या जिनके आंकड़े संकलित किए गए हैं	वास्तविक सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	226	2497	172	3360
2.	प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां	7108	6306	4925	6462
	कुल	**7334**	**8803**	**5097**	**9822**

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग): सीएसआर व्यय करने वाली शीर्ष 50 कंपनियों का वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए सीएसआर व्यय क्रमश: 4634 करोड़ रुपए और 6538 करोड़ रुपए है। कंपनियों की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट दायर करने के लिए देय नहीं हैं।

(घ): वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रमश: 7334 और 5097 कंपनियों का मूल्यांकन दर्शाता है कि 4195 और 1995 कंपनियों ने सीएसआर पर कोई व्यय नहीं किया।

(ङ.) से (छ): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के पहले परंतुक में यह कहा गया है कि "कंपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों के लिए निर्धारण राशि व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और अपने संचालन के आस-पास के क्षेत्रों को वरीयता देगी"। सीएसआर पात्र कंपनी के बोर्ड को इस अधिनियम के तहत सीएसआर कार्यक्रमों/परियोजनाओं और ऐसे कार्यक्रमों के तहत शामिल किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्रों का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं है।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)		
क्षेत्र	**2014-15**	**2015-16**
स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी, कुपोषण का निवारण/सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2246	3117
शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	2728	3073
ग्रामीण विकास	1017	1051
पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	1213	923
स्वच्छ भारत कोष	36	262
अन्य कोई कोष	326	213
लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/असमानता हटाना	192	136
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	160	95
खेलों को प्रोत्साहन	157	90
विरासत कला और संस्कृति	123	9
स्लम विकास	19	3
निर्मल गंगा कोष	465	497
अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	121	355
कुल योग	**8803**	**9822**
कंपनियों की संख्या जिसके लिए डाटा संकलित किया गया	**7334**	**5097**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****